विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2018 / 1758

दिनांक : 07-08-18

प्रति,

प्राचार्य,
संस्कार इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज,
दलौदा,जिला–मंदसौर।

विषय : विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता–निरंतरता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :– महाविद्यालय का ऑनलाईन सम्बद्धता आवेदन क्रमांक / VU1804090013,दिनांक 10.04.2018

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत में नवीन संकाय / नवीन विषय / सीट संख्या वृद्धि की जाने / **संबद्धता** प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण दिनांक 14.06.2018 को किया गया। प्रकरण पर विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.07.2018 में विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की पूर्व बैठक दिनांक 22.06.2018 के संशोधन के साथ पुनः पुष्टि की गई जिसमें बिन्दू क्रमांक 04 में प्रस्तुत प्रस्ताव में संशोधन के साथ निम्नानुसार निर्णय लिया गया,"संस्कार इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज,दलौदा, जिला–मंदसौर के द्वारा आवेदित सत्र 2017–18 में बी.बी.ए.–तृतीय वर्ष, बी.सी.ए.–तृतीय वर्ष की सम्बद्धता तथा सत्र 2018–19 में बी.ए.–प्रथम वर्ष(आ.पा.अर्थशास्त्र,राजनीति विज्ञान,समाजशास्त्र) बी.कॉम.–प्रथम वर्ष(प्लेन),बी.एससी.–प्रथम वर्ष(आ.पा.,रसायन,गणित,भौतिकी) पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने हेतु स्वीकृति एवं निरंतरता सशर्त मान्य की गई।"

उक्त बैठक के निर्णय के अनुक्रम में महाविद्यालय को निम्न विवरणानुसार सत्र 2017–18 की कार्योत्तर एवं सत्र 2018–19 में शर्तों के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में नितांत अस्थाई संबद्धता प्रदान की जाती है :–

क्र.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या	सत्र
01.	बी.बी.ए.–तृतीय वर्ष	[illegible](पूर्व सत्रानुसार)	2017–18 में
02.	बी.सी.ए.–तृतीय वर्ष	40(पूर्व सत्रानुसार)	2017–18 में
03.	बी.ए.–प्रथम वर्ष(आ.पा.,अर्थशास्त्र,राजनीति विज्ञान,समाजशास्त्र)	60	2018–19 में
04.	बी.कॉम.–प्रथम वर्ष(प्लेन)	80	2018–19 में
05.	बी.एससी.–प्रथम वर्ष(आ.पा.,रसायन,गणित,भौतिकी)	60	2018–19 में

शर्तें :–01. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.07.2018 में लिये गये निर्णय का पालन करना सुनिश्चित करें।

02. महाविद्यालय का स्वयं का भवन निर्माण करें,
03. पुस्तकालय का कक्ष बड़ा हो एवं करीब प्रत्येक कोर्स की 60–60 पुस्तकें खरीदें।
04. खेलकूद का स्वयं का मैदान नहीं है। जिसे अगले सत्र तक निर्माण पूर्ण करें।
05. रसायन एवं भौतिकी प्रयोगशाला में उपकरण अपर्याप्त है जिसे सत्र प्रारम्भ होने के पहले पूर्ति करें।
06. छात्रों की सुरक्षा हेतु भवन मुख्य सड़क से दूर हो।
07. परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत अन्य विषयों के शिक्षकों का चयन कराये।
08. छात्रों की सुरक्षा के लिये सी.सी.टी.वी. की व्यवस्था करें।

निरंतर...02

उपरोक्त कमियों की पूर्ति आवश्यक रूप से शिघ्र पूर्ण करें,अन्यथा सम्बद्धता पर पुनःविचार किया जावेगा।

उपरोक्त महाविद्यालय को अस्थाई सम्बद्धता आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन,भोपाल का अनापत्ति पत्र क्रमांक/973/198/आउशि/सम्बद्धता/2018/भोपाल,दिनांक 30.01.2018 के आधार पर प्रदान की गई है।

उपरोक्त पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष की सम्बद्धता हेतु आगामी सत्र में निर्धारित समयावधि में आवेदन एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से करना सुनिश्चित करें।

आदेशानुसार

कुलसचिव

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2018/ 1759 दिनांक : 07-8-

प्रतिलिपिः-

1. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग म.प्र.शासन,भोपाल।
2. प्रेषित अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा उज्जैन संभाग,उज्जैन।
3. प्रेषित [illegible] राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद [illegible] भवन,श्यामला हिल्स,भोपाल।
4. निदेशक [illegible] महाविद्यालयीन विकास परिषद,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
5. [illegible] अग्रणी महाविद्यालय,विक्रम विश्वविद्यालय परिक्षेत्र,उज्जैन।
6. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव,परीक्षा/गोपनीय/लेखा विभाग,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
7. प्रभारी ऑनलाईन सेल, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन।
8. प्रभारी, कम्प्यूटर सेंटर, की ओर प्रेषित कर सूचित है कि, उपरोक्त पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर [illegible] करें।
9. कुलपति [illegible] विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
[illegible] कार्यार्थ।

उपकुलसचिव(अकादमिक)